

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर

क्रमांक :— एफ 7(2) () राष्ट्र./सान्याअवि/14/665।।
आदेश

जयपुर, दिनांक: 25/12/2015

विभाग के राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को वर्ष के किसी भी 3 महीनों में कठिन विषयों की कक्षा 10 के लिये विशेष कोचिंग हेतु (गणित अंग्रजी विज्ञान) प्रति छात्रावास प्रति विषय 1000/-रूपये प्रतिमाह की दर से एवं कक्षा 12 के लिए विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय में से किन्हीं 3 विषयों की विशेष कोचिंग हेतु छात्रावास प्रति विषय 1000/-रूपये प्रतिमाह की दर राशि के आवंटन हेतु पंशिष्ठ 'A' के अनुसार जिलेवार बजट का आवंटन वर्ष 2014-15 के लिए किया जाता है। उक्त बजट छात्रावासों में रहने वाले कक्षा 10 एवं 12 के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विशेष कोचिंग हेतु किया जा रहा है।

इन छात्रावासों में विशेष कोचिंग व्यवस्था सरकारी अध्यापकों/सेवानिवृति अध्यापकों एवं निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों से करायी जायेगी। परन्तु निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापक आवश्यक रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक है। कोचिंग कार्य का भुगतान छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्र/छात्राओं की मौजूदगी में संबंधित विषयों के अध्यापकों को किया जायेगा। इसके अनुसार ही व्यय किया जाकर प्रतिमाह व्यय की सूचना मदवार आवश्यक रूप से सहायक निदेशक (छात्रावास) एंवं वितीय सलाकार मुख्यावास को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें। राशि का आवंटन निम्न बजट मदों से व्यय किया जाएगा।

225 – अनु०जातियों जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	
01–अनुसूचितजातियों का कल्याण	00.00
196– जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	
(02)– छात्रावासों का संधारण	
[02] – कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	
08– वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशेष कोचिंग) (आयोजना भिन्न मद)	
2225– अनु० जातियों जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	
01– अनुसूचित जातियों कल्याण	
196– जिला परिषदों /जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	
(03)– अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों को छात्रवृत्ति कम छात्रावास	0.99
[02] – कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	
08– वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशेष कोचिंग)आयोजना गिन्न मद)	
2225– अनु०जातियों जन जातियों तथा अन्य पिछड़े विर्गों का कल्याण	
02– अनु०सूचित जनजातियों का कल्याण	2.29
196– जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	
(01) – छात्रावासों का संधारण	
[02] – कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	
08– वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक(विशेष कोचिंग)(आयोजन भिन्न मद)	
2225 – अनु०जातियों जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	
02– समाज कल्याण	1.20
196– जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	
(02)– उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों का संधारण	
[02]– कार्यक्रम में एवं गतिविधियाँ	
08– वृतिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए राहायक(विशेष कोचिंग)(आयोजन भिन्न मद	

W.W

राजकीय छात्राओं के लिए कक्षा 10 एवं 12 के छात्र एवं छात्राओं हेतु कठिन विषयों की विशेष कोचिंग कराने के लिए आयोजना भिन्न मद अन्तर्गत बजट

आवंटन का जिलेवार विवरण वर्ष 2014-15

क्र.सं.	आहरण-वितरण अधिकारी का नाम	2225-01-196(03)-(02)-08 (स्वतंत्रकार)	2225-02-196(01)-(02)-08 दिविष्य प्रयोगशुभित जनजाति)	2225-02-196(02)-(02)-08 दिविष्य प्रयोग(टी.ए.डी.)	2225-03-196(01)-(02)-08 दिविष्य तिथि व्यय(अन्य पिछड़ा वर्ग)	योग
1	उप निदेशक श्रीकान्ते	12580	0.36	0.00	0.00	0.13 0.49
2	सहायक निदेशक चित्तोडगढ़	23567	0.18	0.54	0.00	0.09 0.81
3	सहायक निदेशक इंगरुर	23551	0.09	0.30	0.39	0.00 0.78
4	सहायक निदेशक बासवाडा	23511	0.00	0.67	0.63	0.00 1.30
5	सहायक निदेशक जैसलमेर	2503	0.00	0.24	0.00	0.00 0.24
6	जिला परिवेश एवं समाज कल्याण अधिकारी, राजसमन्वय	8935	0.36	0.54	0.18	0.18 1.26
	योग		0.99	2.29	1.20	0.40 4.88

(न. सरकारी भीमा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनुजाति / जनजाति कल्याण)